माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार, के समक्ष

मो. जाकिर हुसैन- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-उत्तरदाता

Crl. M. No. 45691/M of 2003

13 अक्टूबर, 2003

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973— धारा 438—याचिकाकर्ता के खिलाफ दो प्राथमिकियों का पंजीकरण—उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई प्राथमिकी को रद्द करने और गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की प्रार्थना के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं—याचिकाकर्ता के खिलाफ एक लड़की का धर्म परिवर्तन करके और एक मौलवी पर दबाव डालकर अपनी शादी की वैधता दिखाने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी करने के गंभीर आरोप हैं। एक मस्जिद को उसकी इच्छा के अनुसार अदालत में गवाही देने के लिए - याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से जांच में बाधा आने की संभावना है और उसके द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाएगा - सही और निष्पक्ष जांच के लिए याचिकाकर्ता गिरफ्तारी से पहले जमानत का हकदार नहीं-याचिकाएं खारिज।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता पर एक युवा लड़की के संबंध में फर्जी निकाहनामा बनाने का आरोप है, जो कथित तौर पर पहले से ही शादीशुदा है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए अपने बयान में. पी.सी. 1 सितंबर, 2003 को मौलवी अब्दुल कय्यूम ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष कहा कि याचिकाकर्ता उसे धमकी दे रहा है और अपने शिक्षण के अनुसार अदालत में बयान देने के लिए दबाव डाल रहा है। मौलवी अब्दुल कय्यूम के बयान को पढ़ने के बाद, एक समझदार व्यक्ति के मन में एक अस्पष्ट आशंका उत्पन्न हो जाएग यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी पूर्व जमानत का लाभ दिया जाता है, तो इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने में शामिल होने की संभावना है। मौलवी अब्दुल कय्यूम के बयान से एक उचित विश्वास उत्पन्न होता है कि जमानत की रियायत का उपयोग याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत उस बयान में बताए गए अन्य संज्ञेय अपराध करने के लिए किया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता ने विस्तृत रूप से बताया है सभी संज्ञेय अपराधों की निष्पक्ष जांच का प्रावधान। गिरफ्तारी पूर्व जमानत के आदेश से जांच में बाधा आने की संभावना है। अदालत किसी आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत का आदेश देकर उसे ऐसे कार्यों में शामिल होने का लाइसेंस नहीं दे सकती है जो निष्पक्ष जांच को प्रभावित करेगा। कानून ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता

जिसके परिणामस्वरूप जांच एजेंसियों को नुकसान हो और याचिकाकर्ता-अभियुक्तों के अवैध मंसूबों को बढ़ावा मिले। रोकथाम का एक ग्राम इलाज के एक किलो से बेहतर है।

(पैरा 10 और 11)

नरेंद्र हुडा, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए

एन.के. जोशी, एएजी (हरियाणा), प्रतिवादी के लिए

ओ. पी. गोयल, सीनियर अधिवक्ता, के साथ प्रमोद गोयल, अधिवक्ता शिकायतकर्ता के लिए

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

1. इस आदेश द्वारा, मैं Crl. Misc. No. 45691-M of 2003 और Crl. Misc. No. 45906-M of 2003 का निपटान करने का प्रस्ताव करता हूं, जिनमें गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए प्रार्थना एक श्री मो. ज़ाकिर हुसैन द्वारा की गई है। मो. ज़ाकिर हुसैन दोनों याचिकाओं में आरोपी हैं, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 (संक्षिप्तता के लिए, 'सी.आर.पी.सी.') के तहत दायर की गई हैं, (पहली और दूसरी याचिका के रूप में संदर्भित)। पहली याचिका में, याचिकाकर्ता ने एफआईआर संख्या 161, दिनांक 18 जुलाई, 2003 की धारा 323 और 506 आई. पी.सी. थाना महेश नगर, अम्बाला के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की प्रार्थना की है और श्री मो. ज़ाकिर हुसैन द्वारा एक श्री. जमील अहमद के साथ दूसरी याचिका के मामले एफआईआर नंबर 190, दिनांक 29 अगस्त, 2003 को धारा 419, 420, 465, 466, 467, 471, 124-ए, 153-ए, 295 के साथ धारा 120-बी आईपीसी, में भी ऐसी ही प्रार्थना की गई है। थाना महेश नगर, अम्बाला।
2. जैसी कि 18 जुलाई, 2003 की एफआईआर संख्या 161 में दर्शाया गया है, अभियोजन पक्ष श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो सुश्री अवेदना शर्मा के पिता हैं, की गई शिकायत पर आधारित है। एफआईआर में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, उनकी बेटी सुश्री अवेदना शर्मा की शादी श्री अमिताभ ठाकुर से दिल्ली में हुई थी। उनकी शादी से पहले उन्हें अपनी बेटी की शादी कहीं और करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां मिलती थीं। शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता-आरोपी श्री मो. जाकिर हुसैन, कार्यरत सहायक अभियंता वक्फ बोर्ड, अम्बाला की संलिप्तता का संदेह था क्योंकि वह शिकायतकर्ता की बेटी सुश्री अवेदना शर्मा को बहकाने की कोशिश कर रहा था। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने वक्फ बोर्ड के कार्यालय में उसे समझाने के लिए संपर्क किया लेकिन वह कार्यालय में नहीं पाया गया. शिकायतकर्ता ने एफआईआर में आगे आरोप लगाया की 11 जुलाई, 2003 को लगभग 8.30 बजे वह अपने बेटे अनुज और उनके रिश्तेदार शमशेर सिंह कौशल के साथ उनके घर के गेटपर उपस्थित थे। वे सुश्री

अवदेना शर्मा के विवाह कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति सफेद रंग की मारुति कार जिसका पंजीकरण नंबर HR-02-0016 है से उतरा और दावा किया है कि वह श्री मो. जाकिर हुसैन और शिकायतकर्ता उनके कार्यालय क्यों गए थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि यदि सुश्री अवेदना शर्मा की शादी कहीं और हुई तो आपका पूरा परिवार ख़त्म कर दिया जाएगा और परिणामों के लिए तैयार रहें। उन पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को गर्दन से पकड़कर थप्पड़ मार दिया। पर शिकायतकर्ता के बेटे और उसके रिश्तेदार शमशेर सिंह कौशल के हस्तक्षेप से याचिकाकर्ता-अभियुक्त श्री. मो. जाकिर हुसैन चला गया और धमकी दी कि शिकायतकर्ता को अन्य लोगों के साथ मौका मिलते ही मार दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि परिवार की प्रतिष्ठा के कारण, वह चुप रहा और तय तिथि पर अपनी बेटी की शादी कर दी। एफआईआर के अनुसार, आरोपों से आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत अपराध होने का खुलासा हुआ।

3. दूसरी एफआईआर, जो दूसरी याचिका का विषय है, सुश्री अवेदना शर्मा के भाई अनुज शर्मा द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित है। शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया और संबंधित थाने की पुलिस को जांच के लिए भेज दिया है। एफआईआर में बताए गए आरोपों से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न अपराध किए हैं। याचिका में उपरोक्त एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है जो कि इस न्यायालय ने 11 सितंबर, 2003 को Crl. Misc. No. 40509-M में पहले ही यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरोप संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं और प्रथम दृष्टया झूठे नहीं माने जा सकते। आईपीसी की धारा 420 और 466 के तहत अपराध गैर-जमानती हैं और उन अपराधों के लिए सजा सात साल और जुर्माना है। धारा 124-ए, 153-ए, 295 के तहत अपराध भी गैर-जमानती हैं और धारा 120-बी के तहत आपराधिक साजिश का अपराध भी गैर-जमानती है।
4. यह उल्लेख करना उचित है कि 29 अगस्त, 2003 को दूसरी एफआईआर दर्ज होने से पहले, याचिकाकर्ता ने सुश्री अवेदना शर्मा के साथ मिलकर सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत Crl. Misc. No. 31070-M of 2003 दायर करके प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के साथ-साथ सुश्री अवेदना शर्मा को परेशान न करने और उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। दावा किया गया कि सुश्री अवेदना शर्मा ने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम आलिया हुसैन रख लिया है। याचिका में आगे दावा किया गया कि उसका निकाह समारोह मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन के साथ उसके माता-पिता की सहमति के बिना हो चुका है। उपरोक्त याचिका का नोटिस अकेले प्रतिवादी-राज्य को जारी किया गया था और इस न्यायालय ने 18 जुलाई, 2003 को - पहली याचिका के साथ संलग्न अनुबंध पी-2 (Crl. Misc. No. 45691-M of 2003) के तहत प्रतिवादी को निर्देशित किया था कि मो. जाकिर हुसैन-याचिकाकर्ता और सुश्री अवेदना शर्मा को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाए।

5. इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि सुश्री अवेदना शर्मा के पिता, श्री अशोक कुमार शर्मा सहित एक अन्य ने Crl. Writ Petition No. 869 of 2003 दाखिल किया जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रार्थना करते हुए आरोप लगाया गया है कि सुश्री अवेदना शर्मा को अवैध हिरासत में रखा जा रहा है। सुश्री अवेदना शर्मा को अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने कहा कि वह शादीशुदा हैं और पिंजौर में निकाह समारोह आयोजित करके अपनी शादी को संपन्न करके याचिकाकर्ता-मोहम्मद जाकिर हुसैन के साथ रह रही हैं। उसने आगे कहा कि वह शादीशुदा है और उसने स्वेच्छा से यह बयान दिया है। याचिका का निपटारा पंचकुला पुलिस को सुश्री अवेदना शर्मा के साथ ही मो. जाकिर हुसैन को पुलिस एस्कॉर्ट प्रदान करने का निर्देश देकर कर दिया गया। उपरोक्त आदेश दिनांकित 30th july 2003 याचिका के साथ संलग्नक पी-3 (crl. Misc. 45691-m of 2003) है।
6. यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने crl. Misc. no. 40509-m of 2003, दायर किया जिसमें एफआईआर संख्या 190, दिनांक 29 अगस्त, 2003 को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी, जो दूसरी याचिका का विषय है। एफआईआर को रद्द करने की उपरोक्त याचिका 11 सितंबर, 2003 को खारिज कर दी गई थी। उपरोक्त याचिका को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने एक मौलवी श्री अब्दुल कय्यूम के बयान का संदर्भ दिया था जो कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत 1 सितंबर, 2003 को दर्ज किया गया था। श्री अब्दुल कय्यूम ने कहा कि उनके द्वारा किसी भी निकाहनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। यह भी देखा गया कि धर्म परिवर्तन के संबंध में शपथ पत्र भी फर्जी थे। उपर्युक्त क्रम में की गई टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

> जब ऊपर उल्लिखित सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में तत्काल मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो एफआईआर जो शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत पर आधारित है- प्रतिवादी नंबर 2, के केवल अवलोकन से कोई संदेह नहीं रह जाता है, दिखाएगा कि यह उन आरोपों का खुलासा करता है जो आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत विभिन्न अपराध हो सकते हैं। ऊपर दिए गए एफआईआर के पैरा 2 से 7 में लगाए गए आरोपों का संदर्भ दिया जा सकता है, जो धर्म परिवर्तन के संबंध में फर्जी निकाहनामा और शपथ पत्र के अपराधों के होने का पर्याप्त रूप से खुलासा करता है। आरोपों से अपहरण और अपहरण के अपराधों का खुलासा भी होता है। यह भी स्पष्ट है कि आरोप धर्म और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता भड़काने की सामग्री को संतुष्ट करते हैं। आपराधिक साजिश के आरोप भी साबित हुए हैं. इसलिए, पहली नजर में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मूल दंड कानूनों धारा 419, 420, 465, 467, 471, 506, 148, 153-ए के तहत किए गए हैं। 295 और 120-बी आईपीसी के मूल तत्व से संतुष्ट नहीं हैं। यह उल्लेख करना और भी प्रासंगिक है कि तस्वीरें अनुलग्नक आर-2/2 से आर-2/6 में रिंग समारोह और

श्री अमिताभ ठाकुर के साथ सुश्री अवेदना शर्मा की शादी को दर्शाती हैं। श्री अब्दुल कवुम का बयान दिनांकित 1 सितंबर, 2003 सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया आगे दिखाएगा कि आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन नहीं हैं। इसलिए, यदि भजन लाई के मामले (सुप्रा) और अन्य मामलों में दिए गए किसी भी प्रस्ताव को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा जारी आदेश पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। 27 अगस्त 2003 को अम्बाला, अनुलग्नक आर-2/10 में अतिरिक्त निषेध है क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ता को सुनने के बाद और शिकायत में वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे भेजा जाना आवश्यक है। धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज करने और जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन। पी.सी. इसलिए, मुझे एफआईआर रद्द करने का आदेश देने का कोई वैध कारण नहीं मिला।"

(महत्व जोड़ें)

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री नरेंद्र हुडा ने तर्क दिया कि पहली याचिका में लगाए गए आरोप केवल धारा 323 और 506 आईपीसी के तहत जमानती अपराधों के कमीशन का खुलासा करेंगे, जो 18 जुलाई, 2003 को पंजीकृत है। विद्वान वकील आगे तर्क दिया गया है कि दूसरे एफआईई में, आईपीसी की धारा 420, 466, 467, 124-ए, 153-ए, 295 और 120-बी के तहत अपराध गैर-जमानती हो सकते हैं। विद्वान वकील के अनुसार, इनमें से कुछ आरोप स्पष्ट रूप से झूठे हैं क्योंकि Crl. Misc. no. 33799-m 2003, में इन आरोपों के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। जो कि 30 जुलाई 2003 को सुश्री अवेदना शर्मा के पिता और माता द्वारा दायर की गई थी, जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। विद्वान वकील ने बताया कि आईपीसी की धारा 153-ए और 295 आदि के तहत अपराध का कोई आरोप नहीं लगाया गया है और इन्हें बाद में गढ़ा गया है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को धारा 438 सीआरपीसी की रियायत बढ़ाकर जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि कोई भी वसूली नहीं की जानी है और न ही किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी। उन्होंने **गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य**[1] के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा जताया है, और तर्क दिया कि भले ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत कुछ वसूली की जानी हो, यह गिरफ्तारी पूर्व जमानत से इनकार करने का कोई वैध आधार नहीं होगा क्योंकि धारा 27 के प्रयोजन के लिए, आरोपी को हिरासत में माना जाएगा और धारा 438(2) के तहत ऐसी शर्त लगाई जा सकती है ताकि निर्बाध पूछताछ सुनिश्चित हो सके। उन्होंने फैसले के पैरा 19 का हवाला देते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष के लिए जमानत पर रिहा आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसरण में किए गए तथ्यों की वसूली के संबंध में धारा 27 के लाभ का दावा करना हमेशा संभव है। विद्वान

[1] AIR 1980 SC 1632

वकील द्वारा प्रस्तुत एक अन्य दलील यह है कि एकमात्र व्यक्ति, जो याचिकाकर्ता श्री मो. जाकिर हुसैन के साथ सुश्री अवेदना शर्मा के विवाह से व्यथित हो सकता है वो उनके तथाकथित पति श्री अमिताभ ठाकुर हो सकते हैं पर वह कभी भी किसी कानूनी अधिकार का दावा करने के लिए आगे नहीं आए हैं।

8. राज्य के विद्वान वकील श्री एन.के. जोशी ने तर्क दिया है कि यह प्रथम दृष्टया श्री अब्दुल कय्यूम, पिंजौर के मौलवी द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि 1 सितंबर, 2003 को ने कहा कि उनके द्वारा कोई निकाह समारोह नहीं किया गया है और निकाहनामे पर हस्ताक्षर जाली हैं। विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता-मो. जाकिर हुसैन ने धर्म परिवर्तन के संबंध में जाली निकाहनामा और जाली शपथ पत्र पेश करके इस न्यायालय के समक्ष गलत प्रतिनिधित्व करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। श्री अब्दुल कय्यूम ने बयान से मजिस्ट्रेट के समक्ष जो रिकार्ड दर्ज कराया, उससे स्पष्ट है कि श्री. मो. जाकिर हुसैन-याचिकाकर्ता आरोपी श्री अब्दुल कय्यूम को धमकी दे रहा है और उस पर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला। विद्वान वकील के अनुसार, जमानत की रियायत के परिणामस्वरूप गवाहों को धमकी देने और अभियुक्तों द्वारा अन्य अपराध करने की संभावना है। इस संबंध में, उन्होंने श्री द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए 11 सितंबर, 2003 के आदेश में इस न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ दिया है। मो. जाकिर हुसैन-याचिकाकर्ता ने एफआईआर को रद्द करने का आरोप लगाया, जो दूसरी याचिका का विषय है। उन्होंने न्यायालय द्वारा 30 जुलाई 2003 को पारित आदेश का भी हवाला दिया है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि आरोपों में सच्चाई जानने के लिए याचिकाकर्ता-अभियुक्त से हिरासत में पूछताछ आवश्यक होगी क्योंकि उनके अनुसार, आरोप विश्वसनीय पाए गए हैं। उन्होंने **राज्य बनाम अनिल शर्मा**[2] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है।

9. शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ओ.पी. गोयल ने तर्क दिया है कि जब crl. Misc. no. 31070-m of 2003 दायर किया गया था, याचिकाकर्ता-श्री के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। मो. जाकिर हुसैन या कोई और. विद्वान वकील ने आगे बताया कि उपरोक्त याचिका का निपटारा सुश्री अवेदना शर्मा के माता-पिता को कोई नोटिस जारी किए बिना 18 जुलाई, 2003 को कर दिया गया था। या उसके भाई को. विद्वान वकील ने यह दिखाने के लिए दिनांक 18 जुलाई, 2003 के आदेश का हवाला दिया है कि नोटिस केवल महाधिवक्ता के कार्यालय को जारी किया गया था और याचिका का निपटारा 18 जुलाई, 2003 को किया गया था। सी.आर.एल. विविध. प्रतिवादी-राज्य और याचिकाकर्ता-अभियुक्त, जिसे प्रतिवादी संख्या के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है, के खिलाफ सुश्री अवेदना शर्मा के पिता और माता द्वारा दायर 2003 की संख्या 33799-एम। 4. विद्वान वकील ने याचिका और प्रार्थना खंड के विभिन्न पैराग्राफों में दिए गए कथनों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। प्रार्थना खंड में, यह प्रार्थना की गई है कि 18 जुलाई, 2003 को सुश्री अवेदना शर्मा के माता-पिता द्वारा पारित आदेश को वापस लिया जाए और वरिष्ठ

[2] 1997 (7) S.C.C. 187

पुलिस अधीक्षक, अंबाला कैंट को निर्देश दिए जाएं कि जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपे। उपरोक्त याचिका में, सुश्री अवेदना शर्मा के माता-पिता द्वारा आगे प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त श्री द्वारा सुश्री अवेदना शर्मा के अपहरण, जालसाज़ी और अवैध कारावास के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश जारी किया जाए। मो. जाकिर हुसैन. याचिका की एक प्रति 'ए' चिह्न के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि किसी भी शिकायत में कोई गलत आरोप नहीं लगाया गया है, जो कि एफआईआर संख्या 161 दिनांक 18 जुलाई, 2003 और एफआईआर संख्या 190 दिनांक 29 अगस्त, 2003 के पंजीकरण का आधार है। उन्होंने तर्क दिया है याचिकाकर्ता-आरोपी मोहम्मद जाकिर हुसैन के द्वारा बाद में दायर की गई एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने विस्तृत टिप्पणियाँ करते हुए कहा है कि आरोप विश्वसनीय हैं और झूठे नहीं हैं। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि उस याचिका में की गई प्रार्थना पर नजर डालने से पता चलेगा कि गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए भी प्रार्थना की गई थी और इसे अस्वीकार कर दिया गया माना जाना चाहिए। उपरोक्त प्रस्तावों के लिए, विद्वान वकील ने **माया रानी गिनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[3] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। यह तर्क देने के लिए कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है जैसे याचिकाकर्ता के वकील ने इस पर बहस करने की मांग की थी विद्वान वकील ने इस न्यायालय के एक निर्णय **आर.के. रंगा बनाम हरियाणा राज्य**[4] 1997 (2) RCR 568 पर भी भरोसा किया है। किसी भी मामले में विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता श्री मो. जाकिर हुसैन द्वारा दायर की गई याचिका की एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया गया है और अब यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप स्पष्ट रूप से झूठे हैं।

10. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, दोनों याचिकाओं में दिए गए कथनों और मौलवी अब्दुल कय्यूम द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान का अवलोकन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच गया हूँ यह है कि ये याचिकाएँ ख़ारिज किये जाने योग्य हैं। याचिकाकर्ता- मो. जाकिर हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने एक युवा लड़की के नाम पर फर्जी निकाहनामा तैयार किया था, जिस पर आरोप है कि वह पहले से ही शादीशुदा है। मौलवी अब्दुल कय्यूम ने अपने बयान में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष 1 सितम्बर 2003 को यह कहा है कि मो. जाकिर हुसैन उसे धमका रहा है और अपने ट्यूशन के मुताबिक कोर्ट में बयान देने के लिए दबाव बना रहा है। आरोप है कि 27 अगस्त 2003 को सुबह 11 बजे आरोपी उसके घर में घुस आया। और पिस्तौल और कारतूस दिखाकर उसे धमकी दी कि उसे उससकी इच्छा के अनुसार अदालत में गवाही देनी होगी। 1 सितंबर, 2003 को न्यायिक

[3] 2003 (1) RCR (Crl.) 774
[4] 1997 (2) RCR 568

मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान का प्रासंगिक हिस्सा मार्क 'बी'के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

प्र. क्या आप यह बयान अपनी मर्जी से देंगे?

उत्तर. हां सर, मैं स्वेच्छा से बयान दूंगा।

प्र. क्या आप पर बयान देने का कोई दबाव है?

उत्तर. नहीं साहब। बयान देने के लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं है बल्कि मैं स्वेच्छा से बयान देना चाहता हूं.

प्र. आप क्या कहना चाहते हैं?

उत्तर. जब अवेदना शर्मा उर्फ आलिया हुसैन और जाकिर हुसैन माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए तो हमें अखबार से पता चला कि अवेदना शर्मा © आलिया हुसैन ने उच्च न्यायालय में बयान दिया है कि उनकी शादी (निकाह) शाही जामा मसीद पिनिजोर शादी (निकाह) की तारीख 4 जून बताई गई। 2003 लेकिन मैं शाह जाम मसीद पिनिजोर में एकमात्र इमाम था उस समय भी और आज भी। अवेदना शर्मा @आलिया हुसैन और जाकिर हुसैन 4 जून 2003 को शादी (निकाह) के लिए मेरे पास नहीं आए थे। 11 जून 2003 को ज़ाकिर हुसैन मो. सरदार वानी और जमील अहमद निहाह (शादी) की रसीद लेकर मेरे पास आए और बार-बार आग्रह किया कि मुझे रसीद की प्रविष्टि अपने रजिस्टर में करनी चाहिए। मैंने उन्हें साफ़ मना कर दिया मो. सरदार वानी जो पंजाब वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट में एक सतर्कता अधिकारी हैं, अपने पद पर प्रभाव डाल रहे हैं मुझ पर वैसा करने का दबाव डाला जैसा उन्हें पसंद था। लेकिन जब मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया, तो उन्होंने मुझे निकाह (शादी) की रसीद दिखाई और मुझसे कहा कि इसमें मेरे हस्ताक्षर हैं और उन्होंने आगे कहा कि जब भी मेरी उपस्थिति की आवश्यकता होगी, वे मुझे खुद अदालत में पेश करेंगे और अदालत को बताएंगे कि निकाहनामा अब्दुल कव्वुम ने तैयार किया है। मैंने बार-बार हस्ताक्षरों को देखा और पाया कि मेरे हस्ताक्षर जाली हैं लेकिन वह मेरे हस्ताक्षर के समान थे। उपरोक्त हस्ताक्षर मैने कभी नहीं किये थे। जाकिर हुसैन. सरदार वानी और उनके लोग 11 जून, 2003 से मुझे टेलीफोन पर धमकी दे रहे हैं और बार-बार मेरे घर में आदमी भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे उनके अनुसार अदालत में सबूत देना होगा। 27 अगस्त 2003 की सुबह 11 बजे जाकिर हुसैन मेरे घर में घुस कर पिस्तौल और कारतूस दिखाते हुए मुझसे कहा कि मोलवी साहब, आपने हमारे पक्ष में सबूत नहीं दिया, तो हम निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे और हमें नहीं पता कि हमारे अलावा और कितने लोग मारे जाएंगे। जब मुझे समाचार पत्र के माध्यम से वर्तमान मामले के बारे में पता चला, तो मैं खुद जांच के लिए पुलिस स्टेशन, महेश नगर, अंबाला कैंट आया और पुलिस मुझे अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए ले आई।

प्र. क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?

उत्तर. नहीं साहब।

(महत्व जोड़ें)

xx xx xx xx

XX XX XX

(एसडी.) . . .,

(सीमा सिंघल), जेएमआईसी, अंबाला कैंट, 1 सितंबर, 2003।

11. मौलवी कय्यूम का बयान पढ़कर एक उचित व्यक्ति इस वैध आशंका पर विचार करेगा कि यदि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से पहले जमानत का लाभ दिया जाता है, तो इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। याचिकाकर्ता-अभियुक्तों द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने की संभावना है। मौलवी अब्दुल कय्यूम के बयान से एक उचित विश्वास उत्पन्न होता है कि जमानत की रियायत का उपयोग याचिकाकर्ता-अभियुक्तों द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत उस बयान में संकेतित अन्य संज्ञेय अपराध करने के लिए किया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता ने विस्तृत रूप से बताया है सभी संज्ञेय अपराधों की निष्पक्ष जांच का प्रावधान। इस मामले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के आदेश से जांच में बाधा आने की संभावना है। अदालत किसी आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत का आदेश देकर उसे ऐसे कार्यों में शामिल होने का लाइसेंस नहीं दे सकती है जो निष्पक्ष जांच को प्रभावित करेगा। कानून ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता जिसके परिणामस्वरूप जांच एजेंसियों को नुकसान हो और याचिकाकर्ता-अभियुक्तों के अवैध मंसूबों को बढ़ावा मिले। रोकथाम का एक औंस इलाज के एक पाउंड से बेहतर है।

12. यह ध्यान रखना और भी प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता 29 अगस्त, 2003 के बाद से पुलिस को सफलतापूर्वक चकमा दे चुके हैं, जो लंबी अवधि तक कानून की उचित प्रक्रिया से खुद को छिपाने की उनकी क्षमता के बारे में बताता है। याचिकाकर्ताओं की छिपने की क्षमता इस विश्वास को मजबूत करती है कि वे उचित समय पर जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के लिए भी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

13. मेरा यह भी मानना है कि, धर्म परिवर्तन करके विवाह की वैधता दिखाने के उद्देश्य से दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप भी शामिल है। **लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया**[5], 2006 SCC 224 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस तरह के धर्मांतरण को वैध नहीं माना गया है।

14. इसके अलावा, इस न्यायालय ने पहले ही एफआईआर के पंजीकरण को बरकरार रखा है, जो दूसरी याचिका यानी एफआईआर संख्या 190 का विषय है। 11 सितंबर, 2003 के आदेश में, यह माना गया है कि प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप बिना किसी तथ्य के हैं और अभियोजन पक्ष के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। अनिल शर्मा के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिरासत में पूछताछ अधिक फायदेमंद और न्याय के हित में होगी। इस तरह की पूछताछ को

[5] 2006 SCC 224

किसी संदिग्ध से पूछताछ की तुलना में गुणात्मक रूप से अधिक पूछताछ-उन्मुख माना गया है, जो गिरफ्तारी पूर्व जमानत के अनुकूल आदेश से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

15. ऊपर दर्ज कारणों से, ये याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी को मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

R.N.R

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी